

मूल वाद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

बनाम 1. रामकुमार पुत्र रावताराग जाट
विवाही नेहरना डादि

दावा बाबत :- 88 RTA क

मुकदमा नम्बर :- 234/21


निर्णय दिनांक :- 16/12/21

वादी की ओर से वकील मुनीराम जोश्यामी की व प्रतिवादी सं० की ओर से वकील रु.रा. जामनी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16/12/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

मुताबिक राजीनामा राही मौजा चउ 5 NTR डेरवाता म० 140/122 के मु० न० 90, 91 डी कुत 3.289 है० व चउ 7 NTR के रवाता म० 59/52 के मु० न० 18, 25, डी कुत 3.923 है० व चउ 4 बीआरडब्लु डेरवाता म० 75/68 के मु० न० 50, 51, 60, 61, डी कुत 7.590 है० वाद भूमि में प्रतिवादी म० 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है में प्रतिवादी रामकुमार डी वजाप वादी इ-दूपात व प्रतिवादी म० 1 रामकुमार डी व हिस्सा कराख के खारेदार उरखार धाकिर डिने पाते है जुं डि प्रतिवादी म० 2 ना 7 ने अपना छ हिस्सा वादी व प्रति म० 1 के पत्र में ल्याग डू शुन डर तिप है, इसलिर ल्याग डिने हिस्से पर विपमानुसार पजीपन शुनक अदा करने व छमि भूमि व ड रख है तो रदन मुक होने पर उ जो स्थानुसार राजस्व रिडि उरखर डिना जावं। (राजीनामा जो डीही डू भाग पढा जावं)

पक्ष पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 16/12/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (शकुंतला चौधरी)
 R.A.S.
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 भादरा जिला हनुमानगढ़